राजस्थरान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर बावडी जिला जोधपुर

विराजमान अधिकारीः श्री हेताराम चौहार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 118/2006

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 दयालराम पुत्र श्री पदमाराम	Delete (1)	पदमाराम पुत्र श्री अर्जुनराम
2 ओमाराम पुत्र श्री पदमाराम		जाति बेलदार निवासी गंगाणी,
3 जेठी पुत्री श्री पदमाराम		हाल गांव केरू, तहसील व
4 लाउ पुत्री श्री पदमाराम		जिला जोधपुर
5 पप्पुडी पुत्री श्री पदमाराम		2 लादूराम पुत्र श्री लिखमाराम
सभी जातियांन् बेलदार		जाति बेलदार निवासी गंगाणी
निवासीगण गंगाणी		3 विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
तहसील बावडी		जाति राजपूत निवासी कोहरा
जिला जोधपुर		तहसील टोडाभीम, करोली
		4 त्रिलोचनसिंह पुत्र श्री खजा–
		नसिंह जाति सिख निवासी
		शास्त्रीनगर, नई दिल्ली
		5 तहसीलदार बावडी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः 1 श्री गुमानाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण ।

2 श्री ओमप्रकाश कच्छवाह, अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

निर्णय

दिनांक 10.12.2019

वाद वादीगण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ग्राम गंगाणी के स्थायी निवासी है । गंगाणी की कृषि भूमि खसरा नं. 385 रकबा 431.10 बीघा एवं खसरा नं. 386 रकबा 08.16 बीघा हुई है । उक्त वादग्रस्त आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 वाद पत्र के साथ संलग्न पेश है ।

Scanned by CamScanner

ाण की वंशावली सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

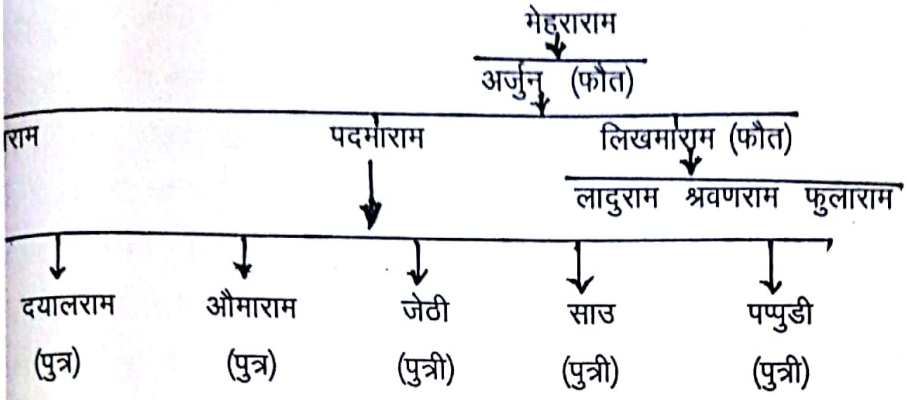

उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा अर्जन वल्द मेराम की अन्य खातेदारान् के साथ साथ 5 वॉ हिस्सा की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा है तथा अर्जन के देहान्त पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक ाराम व लिखमाराम व पूनाराम के 1/12 : 1/12 : 1/12 हिस्सा की खातेदारी कब्जा काश्त है, ति वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या एक का 1/12 वॉ हिस्सा की तेदारी कब्जा काश्त की है जिसमें वादीगण शुरू से ही प्रतिवादी संख्या एक के साथ साथ 1/12 वॉ स्सा की जमीन पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । इस प्रकार वादग्रस्त राजी अविभाजित है जो वादीगण को उनके दादा अर्जन से प्राप्त हुई है, जिस पर वादीगण का जन्म ही हक व अधिकार पैदा हो चुके है । वर्तमान में भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक अन्य हखातेदारान् के साथ साथ 1/12 वॉ हिस्सा पर काबिज काश्त है वादग्रस्त आराजी का वादीगण के ादा के नाम अन्य सहखातेदारान् के साथ जारी पट्टा की फौटो प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न पेश है

वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार बंटवाडा किया हुआ नहीं है । वादीगण संख्या 1 से 5 का 1/12 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ – 1/6 वॉ हिस्सा पर तथा प्रतिवादी संख्या एक ी 1/12 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ हिस्सा पर संयुक्त रूप से काबिज है तथा वर्तमान में भी वादीगण का प्रतिवादी संख्या एक के साथ साथ 1/6 वॉ हिस्सा पर अन्य सहखातेदारान् के साथ संयुक्त रूप से काब्जा काश्त है । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर हर वर्ष की भांति अपने अपने हक हिस्सा की जमीन पर दिनांक 20.08.2006 को सूड करने हेतु गये उस समय प्रतिवादी संख्या दो से चार आये तथा सूड करने से मना कर दिया तथा ऐलानिया रूप से कहा कि वादग्रस्त आराजी में अब वादीगण को कोई हक हिस्सा नहीं रहा है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या चार ने जरिये आम मुख्त्यार की हैसियत से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या एक से 1/12 हिस्सा खरीद कर प्रतिवादी संख्या तीन के नाम बेचान रजिस्ट्री दिनांक 11.05.2006 को करवा दी है, जिस पर वादीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की

Scanned by CamScanner

ौनी सहदायगी सम्पति है जो वादीगण को उनके दादा स्व0 अर्जनरामजी से प्राप्त हुई है, इसलिए दीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक व अधिकार ा हो गये है, इसलिए अविभाजित आराजी को प्रतिवादी संख्या एक को बेचान करने का कोई विधिक धिकार नहीं है, फिर भी वादीगण ने उप पंजीयन कार्यालय भोपालगढ में जाकर पता किया तब ुमात हुई कि प्रतिवादी संख्या दो, प्रतिवादी संख्या एक को बहला फुसलाकर 1/12 हिस्सा की भूमि एक तथाकथित बेचाननामा प्रतिवादी संख्या तीन के नाम कूटरचित रूप से निष्पादित करवा दिया, समें वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 386 व वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य खसरा नं. 358 दर्शाते हुए /12 वॉ हिस्सा का फर्जी आनन फानन में तैयार कर निष्पादित करवा दिया । इस प्रकार वादीगण पैतृक सहदायगी सम्पति ख0नं0 385 में किसी प्रकार का बैचान नही किया न बेचान दस्तावेज में ख0नं0 385 का कोई बेचान दर्शाया, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी संख्या दो से चार को कहा कि दीगण की पैतृक सम्पति ख0नं0 385 व 386 का कोई बेचान नहीं हुआ है, आप लोगो ने प्रतिवादी ख्या एक के अनपढ एवं अज्ञानता का फायदा उठाते हुए फर्जी कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये । ाकथित फर्जी रूप से बेचान पत्र दिनांक 11.05.2006 स्वत: शून्य है, ऐसे बेचान पत्र में किसी भी ार से वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हुए है, न प्रतिवादी संख्या तीन को किसी प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है, इसलिए वादग्रस्त आराजी पर वादीगण सूड करके काश्त करेंगे, कैन इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या दो से चार नहीं माने तथा ऐलानिया रूप से धमकी दी कि वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे, जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, लिए वादीगण को उक्त वाद पेश करना पड रहा है ।

अन्त में वादीगण ने इस्तदुआ पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण के हक में एवं तिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आशय की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम ाणी तहसील बावडी की सीमा में स्थित भूमि खसरा नं. 385 रकबा 431.10 बीघा एवं खसरा नं. 386 बा 8.16 बीघा कुल रकबा 440.06 बीघा में संयुक्त खातेदारों के साथ प्रतिवादी संख्या एक के साथ थ प्रत्येक वादीगण का 1/6 वॉ हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । वादीगण के क में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावें कि ग्राम गाणी तहसील बावडी में स्थित वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण के 1/6 वॉ हिस्सा हक की मीन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावें ।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादीगण को पर्याप्त वसर दिये जाने के बावजूद जबाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जबाब दावा दिनांक 31.12.2012 को द किया गया । वादीगण की और से मौखिक साक्ष्य में भंवरलाल, दयालराम एवं सुखराम के साक्ष्य पथ पत्र प्रस्तुत किये गये । प्रतिवादीगण की और से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी ।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई । अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार

Scanned by CamScanner

...की डिक्री पारित फरमावें एवं वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की
...निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में भविष्य में किसी प्रकार से
...न करें एवं नं किसी अन्य से करावें । इस प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब
...एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से तनकियात् बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रही ।
अब विवाद का मुख्य बिन्दु आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण 1/6 – 1/6 हिस्से के खातेदार
...घोषित होने के अधिकारी है ? हमने प्रस्तुत वाद, दस्तावेज, मौखिक साक्ष्य एवं वादी विद्वान
...द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का अध्ययन कर विचार किया गया
मौजा गंगाणी तहसील बावडी में स्थित खसरा नं. 385 रकबा 431.10 बीघा एवं खसरा नं. 386
...8.16 बीघा भूमि भू प्रबन्ध के समय वादीगण के दादा अर्जन वल्द मेराम के अन्य खातेदारान् के
साथ 1/5 वॉ हिस्सा की खातेदारी कब्जा काश्त की है तथा अर्जन के देहान्त पश्चात् प्रतिवादी
...एक पदमाराम व लिखमाराम एवं पूनाराम के 1/12 : 1/12 : 1/12 हिस्सा की खातेदारी
...काश्त है । वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या एक का 1/12
...हिस्सा संयुक्त रूप से खातेदारी व कब्जा काश्त का है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा से
...होने से पैतृक कृषि भूमि होने से वादीगण का हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ साथ
...है । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के 1/12 हिस्से में से वादीगण संख्या 1 से 5 तक का
...5 – 1/5 हिस्सा बनता है । वादपत्र में 1/6 हिस्सा की मांग की गयी है, लेकिन प्रतिवादी
...1 का देहान्त होने से इनका हिस्सा वादीगण सं. 1 से 5 में निहित हो जाने से अब 1/12 हिस्से
...प्रत्येक वादीगण का 1/5 – 1/5 के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना 1/12 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को बैचान किये जाने की बात
...की गयी है एवं यह बैचान बहला फुसला कर करवाये जाने की बात कही गयी है । चूंकि
...वादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, लेकिन इनकी ओर से जबाब दावा, मौखिक एवं
...तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है । बैचान के आधार पर कब्जा लेने के तथ्यों को प्रतिवादीगण
...किसी प्रकार से साबित नहीं किया गया है, बैचान विलेख में अंकित शर्तो की पालना का अभाव रहा
... । वादग्रस्त आराजी वाद के साथ पट्टा की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अन्य
...खातेदारों के साथ वादीगण के दादा अर्जुन का 1/12 वॉ हिस्सा अंकित है । दादा के देहान्त के
...चात् वादीगण के पिता के नाम भूमि आयी, तथा वादीगण के पिता के देहान्त होने के पश्चात्
...दीगण का इस भूमि पर उत्तराधिकार की हैसियत से 1/12 वे हिस्से हक अधिकार उत्पन्न स्वतः ही
...जाते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त वाद वादीगण स्वीकार योग्य है ।

Scanned by CamScanner

आदेश

बाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गंगाणी तहसील बावडी में खसरा नम्बर 385 रकबा 431 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 386 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा रकबा 440 बीघा 6 बिस्वा भूमि में अन्य सहखातेदारों के साथ वादीगण के पिता पदमाराम के 2 हिस्से पर वादीगण संख्या 1 दयालराम, 2 ओमाराम पिता पदमाराम, 3 जेठी, 4 साउ एवं 5 दी पुत्रियां पदमाराम जातियांन् बेलदार निवासी गंगाणी को 1/5 – 1/5 हिस्से का पदमाराम के पर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण का नाम व रेकर्ड में अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार बावडी को दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 3 के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर बावडी
जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर बावडी
जिला जोधपुर, बावडी

Scanned by CamScanner